

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 59/2020

यूको बैंक,  
शाखा:-श्रीनगर रोड, अजमेर

बनाम

.....प्रार्थी

- (1) मैसर्स कृष्णा एन्टरप्राइजेज जरिये प्रोपराईटर श्री प्रवीण खण्डेलवाल पता कार्यालय:- एएमसी नं0 837/32 का भाग, जादूघर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के सामने, श्रीनगर रोड, अजमेर-305001  
रिहायशी पता (11):- 109/34, विनय नगर, पाल बीचला, अजमेर-305001
- (2) श्री प्रवीण खण्डेलवाल पुत्र श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल
- (3) श्रीमती कमला देवी खण्डेलवाल पत्नी श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल पता:- 109/34, विनय नगर, पाल बीचला, अजमेर-305001

.....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्चूराईटेशन रिक्सटक्शन  
आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ  
सिक्चुरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002


उपस्थित :- श्री संदीप गोयल

अधिकृत प्रतिनिधि

आदेश

दिनांक 25.02.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स कृष्णा एन्टरप्राइजेज एवं श्री प्रवीण खण्डेलवाल पुत्र श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल, निवासी:- एएमसी नं0 837/32 का भाग, जादूघर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के सामने, श्रीनगर रोड, अजमेर-305001 को दिनांक 10.08.2018 को रु 19,00,000/- (अक्षरे उन्नीस लाख रूपये) एवं 16.02.2019 को रूपये 8,00,000/- (अक्षरे आठ लाख रूपये) कुल ऋण 27,00,000/- (अक्षरे सत्ताईस लाख रूपये) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर जादूघर, श्रीनगर रोड, अजमेर, स्थित बंधक अचल सम्पत्ति, एएमसी नं0 837/32 का भाग, क्षेत्रफल 191.30 वर्गफीट, जो श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं:- पूर्व :- सकडा रोड, पश्चिम:- श्री इंदर लाल चौधरी की सम्पत्ति, उत्तर:- श्री खण्डेलवाल की सम्पत्ति, दक्षिण:- श्री इंदर लाल चौधरी की सम्पत्ति, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 29.11.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 18.12.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 21,30,673/- (अक्षरे इक्कीस लाख तीस हजार छः सौ तैहत्तर मात्र) व 8,06,466/- (अक्षरे आठ लाख छः हजार चार सौ छयासठ रूपये मात्र) कुल ऋण 29,37,139/- (अक्षरे उनतीस लाख सैंतीस हजार एक सौ उनचालीस मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया

  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर


है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी को सुना गया। अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक जादूघर, श्रीनगर रोड, अजमेर स्थित अचल सम्पत्ति, एएमसी नं0 837/32 का भाग, क्षेत्रफल 191.30 वर्गफीट, जो श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं:- पूर्व :- सकडा रोड, पश्चिम:- श्री इंदर लाल चौधरी की सम्पत्ति, उत्तर:- श्री खण्डेलवाल की सम्पत्ति, दक्षिण:- श्री इंदर लाल चौधरी की सम्पत्ति, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 25.02.2020 को सुनाया गया।



  
(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर